कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
OFFICE OF THE PRINCIPAL, GOVT. NAVEEN GIRLS COLLEGE SURAJPUR
DISTT.-SURAJPUR (C.G.)
Website - www.ggcsurajpur.ac.in Email id:- govt.ngc.surajpur@gmail.com

Date: 01/01/2025

प्रमाण पत्र

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लाक-03, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 236/93/आउशि/न्या.प्र./2024, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31.12.2024 के परिपालन में यह प्रमाणित किया जाता है कि शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) तम्बाकू रहित परिसर है एवं इसके 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है एवं यह धारा 24 के अंतर्गत रू. 200 जुर्माना के साथ दंडनीय अपराध है।

(बृजलाल साहू)
प्राचार्य
शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
शा.नवीन कन्या महाविद्यालय
सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा

ब्लॉक–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्र.236/93 / आउशि / न्या.प्र. / 2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31 / 12 / 2024

प्रति,

1. **कुलसचिव,**
   समस्त राजकीय / निजी विश्वविद्यालय,
   छत्तीसगढ़।
2. **प्राचार्य,**
   समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय,
   छत्तीसगढ़।

विषय :– न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी.पी.आई.एल. क्रमांक 95 / 2024 स्व मोटो जनहित याचिका विरूद्ध छ.ग.शासन एवं अन्य।

संदर्भ :– उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 6–196 / न्या.प्र. / 2024 / 38–2 दिनांक 24.12.2024

उपरोक्त विषयांर्गत संदर्भित पत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.पी.आई.एल. क्रमांक 95 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2024 के पालन में छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त शैक्षणिक शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालय तथा महाविद्यलाय में The Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA), 2003 लागू करने के संबंध में शैक्षणिक विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों को निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है –

1. प्रत्येक शैक्षण्कि संस्थान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (शैक्षिक संस्थाओं द्वारा बोर्ड प्रदर्शित करना) नियमावली 2009 के नियम 3(1) के अनुसार परिसर के बाहर मुख्य स्थान (स्थानों) पर एक बोर्ड प्रदर्शित करेगा। जिस पर सुस्पष्ट रूप से यह लिखा होगा कि शैक्षिक संस्था के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र पर सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है एवं यह धारा 24 के अंतर्गत रू. 200 जुर्माने के साथ दण्डनीय अपराध है।
2. छत्तीसगढ़ के समस्त शैक्षिक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि, संस्था परिसर सीमा के अंदर 100 मीटर के अन्दर कोई भी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकान नहीं है। उक्त संबंध में प्रमाण पत्र देंगे तथा उक्त प्रमाण पत्र को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे।
3. जिस विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के 100 गज (जो कि लगभग 100 मीटर है) के अन्दर तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकान है, तो तत्काल एस.डी.एम. को पत्र लिखे और सुनिश्चित करें कि विधि के अनुसार उसे तत्काल हटाया गया है अथवा नहीं। जिस महाविद्यालय के 100 गज की दूरी में तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकान है, वे संस्था तत्काल उक्त विषय की जानकारी उच्च शिक्षा संचालनालय को भी प्रेषित करेंगे।
4. शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा टोबेको–फ्री प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। जिसकी वैधता 06 माह रहेगी। 06 माह पश्चात् प्रमाण पत्र को पुनः नवीनीकृत किया जावेगा।

उपरोक्त कंडिओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर 02 दिवस के भीतर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

क्रमशः ....

पृ.क्र 237/93/आउशि/न्या.प्र./2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/12/2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय अपर संचालक, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यो की ओर उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की जानकारी एकत्र कर संचालनालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाता है।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

न्यायालयीन प्रकरण / समय–सीमा

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
--------00--------

क्रमांक एफ 6–196 / न्या.प्र. / 2024 / 38–2 नवा रायपुर अटल नगर, दि0 / 12 / 2024
24 DEC 2024
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

विषयः– **न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू. पी. पी. आई. एल. क्रमांक 95 / 2024 स्व मोटो जनहित याचिका..... विरूद्ध शासन एवं अन्य।**

-----00-----

विषयांकित प्रकरण में माननीय मुख्य न्यायधीश द्वारा स्वतः सज्ञान लेते हुए दैनिक समाचार पत्र हितवाद में दिनांक 15.11.2024 को प्रकाशित Copta लागू होने के बाद भी तम्बाकू उत्पादों की खूलेआम बिक्री किये जाने के संबंध में जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 03 छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग को बनाया गया है।

2/ माननीय मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 18.11.2024 को पारित आदेश के परिपालन में शपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2024 को आदेश पारित करते हुए प्रस्तुत शपथ पत्र को आदेश में शामिल कर आदेश पारित किया गया। पारित आदेश का क्रियात्मक भाग निम्नानुसार हैः–

"7. All Divisional Commissioners and Inspector Generals of Police have been directed to organize immediate meetings with all District Collectors and Superintendents of Police. The purpose is to ensure that all educational institutions are declared tobacco-free and issued certificates. These certificates will be valid for six months from the date of issue and will need to be renewed every six months. (Action to be taken by: Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Chhattisgarh Government, Health and Family Welfare Department/Medical Education Department/School Education Department/Higher Education Department/Technical Education Department/All Divisional Commissioners and Inspector Generals of Police.)

Let the matter be listed for further monitoring on the issue on 27.01.2025.

Commissioner, Municipal Corporation, Bilaspur is directed to file further affidavit regarding the steps taken for effective implementation of COPTA, 2003 before the next date of hearing."

उपरोक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त शैक्षणिक शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय **COPTA, 2003** को लागू करने के संबंध में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित किया जावेंः–

क्रमशः.......

1. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (शैक्षिक संस्थाओं द्वारा बोर्ड प्रदर्शित करना) नियमावली, 2009 के नियम 3(1) के अनुसार परिसर के बाहर मुख्य स्थान (स्थानों) पर एक बोर्ड प्रदर्शित करेगा। जिस पर सुस्पष्ट रूप से यह लिखा होगा कि, शैक्षिक संस्था के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र पर सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है एवं यह धारा 24 के अंतर्गत 200 रूपये जुर्माने के साथ दण्डनीय अपराध है।
2. छत्तीसगढ़ के समस्त शैक्षिक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि, संस्था परिसर सीमा के 100 मीटर के अन्दर कोई भी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकान नहीं है। उक्त संबंध में प्रमाण पत्र देगें तथा उक्त प्रमाण पत्र को अपने महाविद्यालय की वेबसाइड पर भी अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे।
3. जिस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के 100 गज (जो कि लगभग 100 मीटर है) के अन्दर तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली कोई दुकान है। तो तत्काल एस.डी.एम को पत्र लिखे और सुनिश्चित करें कि विधि के अनुसार उसे तत्काल हटाया गया है अथवा नहीं। जिस महाविद्यालय के 100 गज की दूरी में तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकान है। वे संस्था तत्काल उक्त विषय की जानकारी उच्च शिक्षा संचालनालय को भी प्रेषित करेंगे।
4. शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा टेबेको–फ्री प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। जिसकी वैधता 06 माह रहेगी 06 माह पश्चात् प्रमाण पत्र को पुनः नवनीकृत किया जावेगा।

3/ अतः उपरोक्तानुसार समस्त शैक्षणिक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को आगामी कार्यवाही हेतु निर्देशित करें, कृत कार्यवाही से 02 दिवस के भीतर अवगत करावें।

24/12/24

(फबिओला बड़ा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग